Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण: उज्जैन जिले का अध्ययन

तनुजा श्रीवास्तव
रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, अमलतास यूनिवर्सिटी, देवास, मध्य प्रदेश
डॉ.ब्रजेश कुमार यादव
पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग, अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, मध्य प्रदेश

सारांश

यह अध्ययन मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उज्जैन जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि, राजनीतिक सहभागिता, निर्णय-निर्माण में भूमिका, ग्राम सभा एवं पंचायत गतिविधियों में भागीदारी तथा उनके सशक्तिकरण के स्तर का मूल्यांकन करना है। अध्ययन के लिए उज्जैन जिले की विभिन्न पंचायत संस्थाओं में कार्यरत 300 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का चयन किया गया। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन संरचित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया तथा उत्तरों को पाँच-बिन्दु लिकर्ट मापनी पर मापा गया, जिसमें सहभागिता एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित विभिन्न आयामों को सम्मिलित किया गया। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सक्रियता, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक सहभागिता, नेतृत्व क्षमता तथा पंचायत स्तर पर प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। अध्ययन का आधार यह मान्यता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय शासन में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी और सशक्तिकरण को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन है। अध्ययन से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की औपचारिक राजनीतिक उपस्थिति किस सीमा तक वास्तविक निर्णय-निर्माण, नेतृत्व एवं स्थानीय विकास में प्रभावी भूमिका में परिवर्तित हो रही है। यह शोध महिला राजनीतिक सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन तथा समावेशी लोकतांत्रिक शासन की दिशा में उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सहभागिता, वर्णनात्मक एवं पदार्थपरक प्रतिनिधित्व, सरपंच-पति, उज्जैन।

अध्ययन का यह भी उद्देश्य है कि प्राप्त निष्कर्षों को सैद्धांतिक साहित्य—विशेषकर वर्णनात्मक-पदार्थपरक प्रतिनिधित्व की बहस एवं क्रांतिक-द्रव्यमान सिद्धांत—के साथ जोड़कर एक ऐसा साक्ष्य-आधार तैयार किया जाए जो नीति-निर्माताओं, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो। तदनुसार यह शोध-पत्र पाँच खण्डों में संरचित है: परिचय, साहित्य समीक्षा, शोध पद्धति, परिणाम एवं विवेचन, तथा निष्कर्ष।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारत में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सिद्धांत में निहित रही है, किन्तु इसे संस्थागत एवं संवैधानिक आधार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा अनुच्छेद 243-घ के अंतर्गत महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण को अनिवार्य किया (कुमार एवं घोष, 2024)। मध्यप्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्यों में रहा है, जिसने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम, 2007 के माध्यम से महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में लगभग 1,96,490 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियाँ कार्यरत हैं। इस नीतिगत हस्तक्षेप के फलस्वरूप ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, तथा भारत आज विश्व के उन गिने-चुने देशों में सम्मिलित है जहाँ स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।

यह ध्यातव्य है कि पंचायती राज व्यवस्था तीन परस्पर संबद्ध स्तरों—ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत—पर कार्य करती है, तथा प्रत्येक स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के अधिकार, उत्तरदायित्व एवं चुनौतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च स्तरों पर प्रतिनिधियों को अपेक्षाकृत अधिक संसाधन, प्रशासनिक अनुभव एवं सूचना उपलब्ध होती है, जबकि आधार-स्तर की प्रतिनिधियाँ प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक जीवन एवं पारिवारिक संरचनाओं से अधिक निकटता से जुड़ी होती हैं। इसी तुलनात्मक आयाम की अनुभवजन्य जाँच त्रिस्तरीय समावेश के बिना सम्भव नहीं थी, अतः प्रस्तुत अध्ययन में तीनों स्तरों को सम्मिलित किया गया है।

1.2 समस्या-कथन: वर्णनात्मक बनाम पदार्थपरक प्रतिनिधित्व

राजनीति विज्ञान में यह भेद सुस्थापित है कि 'वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व'—अर्थात् निर्वाचित निकायों में महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति—स्वतः ही 'पदार्थपरक प्रतिनिधित्व' अर्थात् वास्तविक निर्णय-शक्ति एवं नीतिगत प्रभाव में परिवर्तित नहीं हो जाती (चट्टोपाध्याय एवं डफ्लो, 2004; हेसामी एवं दा फोंसेका, 2020)। भारत के अनेक क्षेत्रों से यह साक्ष्य मिलता है कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचित अनेक महिलाएँ नाममात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय उनके पति अथवा परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं—इस प्रवृत्ति को व्यापक रूप से 'सरपंच-पति' अथवा 'प्रधान-पति' के रूप में जाना जाता है (कुमार एवं घोष, 2024)। मध्यप्रदेश में भी हाल के वर्षों में शपथ-ग्रहण समारोहों में महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों द्वारा शपथ लेने की घटनाएँ सार्वजनिक चर्चा का विषय रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन की केंद्रीय समस्या यह है कि उज्जैन जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक सहभागिता, नेतृत्व-क्षमता एवं सशक्तिकरण का स्तर क्या है, तथा कौन-से सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारक इस सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं।

1.3 अध्ययन-क्षेत्र: उज्जैन जिले का परिचय

अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का उज्जैन जिला है, जो मालवा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ कृषि-प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ नगरीय प्रभाव भी विद्यमान है, जिससे विकसित एवं अर्ध-विकसित दोनों प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों की महिला प्रतिनिधियों का समावेश सम्भव हुआ। परम्परागत सामाजिक संरचनाओं एवं आधुनिक परिवर्तन-प्रवृत्तियों के एक साथ क्रियाशील होने के कारण उज्जैन जिला महिला सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु एक उपयुक्त सूक्ष्म-स्तरीय प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है, जो सामान्यीकृत राष्ट्रीय अध्ययनों में प्रायः उपेक्षित रह जाती है।

1.4 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. मध्यप्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व की संवैधानिक-विधिक संरचना एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. तीनों स्तरों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-प्रक्रिया, ग्राम सभा एवं समिति-कार्यों में वास्तविक सहभागिता का विश्लेषण करना।
3. महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण में बाधक सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारकों ('सरपंच-पति' प्रवृत्ति सहित) की पहचान करना।
4. महिला नेतृत्व का स्थानीय विकास-प्राथमिकताओं, सेवा-प्रदाय एवं महिला-हितैषी निर्णयों पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. महिला प्रतिनिधियों के क्षमता-विकास एवं प्रभावी सशक्तिकरण हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 शोध परिकल्पनाएँ

अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप निम्नलिखित पाँच शोध परिकल्पनाएँ निर्मित की गईं:

H_1: मध्यप्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि का उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

H_2: महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-प्रक्रिया, ग्राम सभा एवं समिति-कार्यों में सहभागिता का उनके समग्र महिला सशक्तिकरण के स्तर के साथ महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है।

H_3: महिला प्रतिनिधियों के समक्ष उपस्थित सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक बाधाओं का उनके सशक्तिकरण के स्तर पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

H_4: महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय नेतृत्व भूमिका का स्थानीय विकास-प्राथमिकताओं, सेवा-प्रदाय एवं महिला-हितैषी निर्णयों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

H_5: महिला प्रतिनिधियों के क्षमता-विकास, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सहयोग का उनके प्रभावी राजनीतिक सशक्तिकरण के स्तर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2. साहित्य समीक्षा

2.1 सैद्धांतिक ढाँचा: वर्णनात्मक एवं पदार्थपरक प्रतिनिधित्व

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अध्ययन में सर्वाधिक प्रभावशाली सैद्धांतिक योगदान चट्टोपाध्याय एवं डफ्लो के उस बहुचर्चित यादृच्छिक नीति-प्रयोग से आया, जिसने यह प्रदर्शित किया कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें पेयजल एवं अवसंरचना जैसे महिलाओं की प्राथमिकता वाले सार्वजनिक विषयों में भिन्न प्रकार से निवेश करती हैं (चट्टोपाध्याय एवं डफ्लो, 2004)। इसी आधार पर 'क्रांतिक-द्रव्यमान सिद्धांत' विकसित हुआ, जिसके अनुसार निर्णायक निकायों में महिलाओं की एक निश्चित न्यूनतम संख्या की उपस्थिति नीतिगत परिणामों को प्रभावित करने हेतु आवश्यक है (डी सिल्वा, 2023)। तथापि, हेसामी एवं दा फोंसेका के व्यवस्थित साहित्य पुनरावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व का पदार्थपरक प्रतिनिधित्व में रूपांतरण प्रसंग-सापेक्ष है तथा यह संस्थागत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है (हेसामी एवं दा फोंसेका, 2020)। भारत के संदर्भ में जोशी एवं गोहरुंग ने महिला राजनीतिक नेतृत्व को मापने हेतु 'उपस्थिति से संतुलन तक' की अवधारणा प्रस्तुत की, जो केवल संख्यात्मक उपस्थिति के स्थान पर वास्तविक निर्णय-संतुलन के मापन पर बल देती है (जोशी एवं गोहरुंग, 2018)। यह सैद्धांतिक ढाँचा प्रस्तुत अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है, जिसमें सहभागिता, बाधाएँ, नेतृत्व एवं क्षमता-विकास—चारों को पृथक-पृथक किन्तु अंतर्संबंधित चरों के रूप में मापा गया है।

2.2 भारत एवं मध्यप्रदेश में अनुभवजन्य अध्ययन

भारत में महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर अनेक अनुभवजन्य अध्ययन उपलब्ध हैं। बिल्लवा एवं नायक के विषयगत पुनरावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण ने महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी तो बढ़ाई है, किन्तु प्रशिक्षण एवं जागरूकता के अभाव में अनेक महिला प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पातीं (बिल्लवा एवं नायक, 2016)। कुमार एवं परमार ने मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में दलित महिला प्रतिनिधियों पर केंद्रित अपने अध्ययन में यह प्रदर्शित किया कि जाति एवं लिंग के अंतर्संबंध से उत्पन्न बाधाएँ सामान्य महिला प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक जटिल होती हैं (कुमार एवं परमार, 2020)। हज़रा का पश्चिम बंगाल में किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि महिला प्रतिनिधियों की ग्राम सभा में सहभागिता क्षेत्रीय राजनीतिक संस्कृति एवं दलगत गतिशीलता से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है (हज़रा, 2017)। नायर एवं मूलक्कट्टु ने केरल के कुडुम्बश्री कार्यक्रम के अंतर्गत लिंग-उत्तरदायी बजट-निर्माण के माध्यम से महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को रेखांकित किया (नायर एवं मूलक्कट्टु, 2018), जबकि मुकर्जी ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में महिला प्रत्याशियों की सामाजिक जड़ों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि महिलाओं के चुनावी प्रवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है (मुकर्जी, 2021)। मध्यप्रदेश-विशिष्ट साक्ष्य के रूप में, कुमार एवं घोष के अनुसार मध्यप्रदेश ने 2007 में ही 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया था, जिससे राज्य में लगभग 1.96 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधियाँ कार्यरत हैं—फिर भी क्षेत्रीय असमानताएँ, विशेषकर आदिवासी-बहुल एवं गैर-आदिवासी क्षेत्रों के बीच, सशक्तिकरण के स्तर में भिन्नता उत्पन्न करती हैं (कुमार एवं घोष, 2024)। इसी प्रकार भालोत्रा, क्लॉट्स-फिगेरस एवं अय्यर के राष्ट्रव्यापी अध्ययन (भालोत्रा, क्लॉट्स-फिगेरस एवं अय्यर, 2021) तथा अय्यर, मणि, मिश्रा एवं टोपालोवा के शोध

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

(अय्यर, मणि, मिश्रा एवं टोपालोवा, 2022) से यह प्रमाणित होता है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग एवं न्याय-पहुँच पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभाव पड़ता है, जो पदार्थपरक प्रतिनिधित्व के एक ठोस संकेतक के रूप में कार्य करता है।

2.3 बाधाएँ, 'सरपंच-पति' प्रवृत्ति एवं क्षमता-निर्माण संबंधी साहित्य

'सरपंच-पति' प्रवृत्ति पर केंद्रित साहित्य महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी संरचनात्मक बाधा को उजागर करता है। ढकड़ एवं जोशी के विषयगत पुनरावलोकन के अनुसार यह प्रवृत्ति पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों, शिक्षा के अभाव तथा संस्थागत निगरानी-तंत्र की कमी से उत्पन्न होती है, जिसके कारण निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रायः हस्ताक्षर-मात्र तक सीमित रह जाती हैं जबकि वास्तविक प्रशासनिक निर्णय उनके पुरुष परिजनों द्वारा लिए जाते हैं (ढकड़ एवं जोशी, 2021)। कौशिक का अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि पारिवारिक दायित्व एवं पंचायत-कार्य के बीच संतुलन महिला प्रतिनिधियों के लिए एक सतत चुनौती बना रहता है, विशेषकर विवाहित महिलाओं के लिए, जो भारत में अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का बड़ा भाग हैं (कौशिक, 2021)। दूसरी ओर, क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण की भूमिका पर होक का शोध यह दर्शाता है कि संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला प्रतिनिधियों के आत्मविश्वास एवं प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं, जिससे वे प्रशासनिक जटिलता एवं वित्तीय प्रबंधन जैसी चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाती हैं (होक, 2020)। प्रिल्लमन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं-सहायता समूहों में सहभागिता महिलाओं के सामाजिक नेटवर्क एवं सामूहिक कार्य-क्षमता को सुदृढ़ करके उनकी राजनीतिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, जिससे राजनीतिक लैंगिक अंतराल में कमी आती है (प्रिल्लमन, 2023)। बौरी एवं बसु के नगरीय स्थानीय शासन पर केंद्रित अध्ययन में यह पाया गया कि 'प्रभावी सहभागिता' की तुलना में 'आभासी सहभागिता' की दर कहीं अधिक है, जो यह संकेत देता है कि केवल औपचारिक उपस्थिति सशक्तिकरण का पर्याप्त सूचक नहीं है (बौरी एवं बसु, 2024)। समग्र रूप से यह साहित्य प्रस्तुत अध्ययन की उस केंद्रीय परिकल्पना को सुदृढ़ करता है कि सहभागिता, नेतृत्व एवं क्षमता-विकास सशक्तिकरण के धनात्मक निर्धारक हैं, जबकि सामाजिक-पारिवारिक-प्रशासनिक बाधाएँ—विशेषकर 'सरपंच-पति' प्रवृत्ति—इसकी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान हैं। तथापि, अधिकांश उपलब्ध अध्ययन या तो गुणात्मक प्रकृति के हैं अथवा एकल राज्य अथवा राष्ट्रव्यापी स्तर पर केंद्रित हैं; उज्जैन जैसे विशिष्ट जिले पर केंद्रित मात्रात्मक, त्रिस्तरीय तुलनात्मक अध्ययन का अभाव ही प्रस्तुत शोध का साहित्यिक अंतराल निर्मित करता है, जिसे यह अध्ययन भरने का प्रयास करता है।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में एक सुव्यवस्थित मात्रात्मक एवं वर्णनात्मक-सह-अनुमानात्मक अनुप्रस्थ-काट अनुसंधान अभिकल्प अपनाया गया है, जिसमें सभी चरों का मापन एक ही सर्वेक्षण-चक्र में किया गया।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

अध्ययन क्षेत्र एवं जनसंख्या: अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का उज्जैन जिला है। लक्षित जनसंख्या उज्जैन जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं—ग्राम पंचायत (सरपंच, उप-सरपंच एवं पंच/वार्ड सदस्य), जनपद पंचायत (सदस्य एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) तथा जिला पंचायत (सदस्य एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)—में निर्वाचित समस्त महिला जनप्रतिनिधियाँ हैं।

नमूना एवं नमूना पद्धति: बहुस्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति द्वारा कुल 300 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिक नमूना चयनित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर की 200 (66.7%), जनपद पंचायत स्तर की 70 (23.3%) एवं जिला पंचायत स्तर की 30 (10.0%) प्रतिनिधियाँ सम्मिलित हैं। नमूना-चयन चार चरणों में सम्पन्न हुआ—स्तरीकरण, विकास खण्डों का यादृच्छिक चयन, ग्राम पंचायतों का यादृच्छिक चयन, तथा अंततः उत्तरदाताओं का यादृच्छिक चयन। 300 का नमूना-आकार केंद्रीय सीमा प्रमेय के अनुसार प्रतिचयन-वितरण की सामान्यता सुनिश्चित करता है तथा प्रसरण विश्लेषण, सहसंबंध एवं प्रतिगमन जैसी तकनीकों हेतु सांख्यिकीय दृष्टि से पर्याप्त है।

आँकड़ा-संकलन के उपकरण: प्राथमिक आँकड़ों का संकलन एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया—प्रथम भाग में उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय जानकारी (प्रश्न 1–8) तथा द्वितीय भाग में पाँच खण्डों (खण्ड-क से खण्ड-ङ) में विभाजित 48 कथन सम्मिलित थे, जो पाँच-बिन्दु लिकर्ट मापनी (1 = पूर्णतः असहमत, 5 = पूर्णतः सहमत) पर आधारित थे। खण्ड-क (प्रश्न 1–8) सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, खण्ड-ख (प्रश्न 9–18) निर्णय-प्रक्रिया एवं समिति-सहभागिता, खण्ड-ग (प्रश्न 19–30) सामाजिक-पारिवारिक-आर्थिक-प्रशासनिक बाधाएँ, खण्ड-घ (प्रश्न 31–40) महिला नेतृत्व एवं स्थानीय विकास पर प्रभाव, तथा खण्ड-ङ (प्रश्न 41–48) क्षमता-विकास एवं राजनीतिक सशक्तिकरण को मापता है। महिला सशक्तिकरण के परिचालनात्मक चर के रूप में प्रश्न 47–48 के समग्र लिकर्ट स्कोर का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकें एवं नैतिक विचार: आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत, माध्य एवं मानक विचलन जैसी वर्णनात्मक सांख्यिकी तथा एकमार्गी प्रसरण विश्लेषण, पियर्सन सहसंबंध एवं सरल रैखिक प्रतिगमन जैसी अनुमानात्मक सांख्यिकी के माध्यम से किया गया, जिसमें सार्थकता स्तर $\alpha = 0.05$ निर्धारित किया गया। उपकरण की आन्तरिक संगति क्रोनबाख अल्फा गुणांक द्वारा जाँची गई। अध्ययन में सूचित सहमति, गोपनीयता, स्वैच्छिक सहभागिता एवं आँकड़ों के केवल शैक्षणिक उपयोग जैसे नैतिक मानकों का कठोरता से पालन किया गया। क्षेत्रीय सीमा (केवल उज्जैन जिला), स्व-प्रतिवेदित आँकड़ों में संभावित सामाजिक-वांछनीयता पूर्वाग्रह, तथा अनुप्रस्थ-काट अभिकल्प की समय-सीमा अध्ययन की प्रमुख सीमाएँ हैं।

4. परिणाम एवं विवेचन

इस खण्ड में उज्जैन जिले की 300 निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों से संकलित आँकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। खण्ड 4.1 में उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय विवरण, खण्ड 4.2 में खण्ड-वार औसत सशक्तिकरण-स्कोर,

खण्ड 4.3 में परिकल्पना-परीक्षण के परिणाम, खण्ड 4.4 में विश्वसनीयता विश्लेषण, तथा खण्ड 4.5 में समेकित विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

4.1 उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय विवरण

तालिका 4.1 से 4.4 उत्तरदाताओं के आयु-वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति एवं पंचायत-स्तर के अनुसार वितरण को प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 4.1: उत्तरदाताओं का आयु-वर्ग के अनुसार वितरण (कुल संख्या = 300)

आयु-वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
21–30 वर्ष	53	17.7
31–40 वर्ष	104	34.7
41–50 वर्ष	92	30.7
51–60 वर्ष	38	12.7
60 वर्ष से अधिक	13	4.3
कुल	300	100.0

सर्वाधिक 34.7 प्रतिशत उत्तरदाता 31–40 वर्ष आयु-वर्ग में हैं, जो दर्शाता है कि पंचायती राज में मध्यम आयु-वर्ग की महिलाएँ सर्वाधिक सक्रिय हैं, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित (4.3 प्रतिशत) है।

तालिका 4.2: उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वितरण (कुल संख्या = 300)

शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	33	11.0
प्राथमिक	43	14.3
माध्यमिक	90	30.0
उच्च माध्यमिक	66	22.0
स्नातक	50	16.7
स्नातकोत्तर एवं अधिक	18	6.0
कुल	300	100.0

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

यद्यपि निरक्षर एवं केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों का अनुपात (25.3 प्रतिशत) उल्लेखनीय है, तथापि माध्यमिक एवं इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं का बहुमत (74.7 प्रतिशत) यह संकेत देता है कि शिक्षित महिलाएँ भी अब पंचायती राज में सक्रिय रूप से आगे आ रही हैं।

तालिका 4.3: उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के अनुसार वितरण (कुल संख्या = 300)

वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अविवाहित	18	6.0
विवाहित	249	83.0
विधवा	16	5.3
तलाकशुदा/अलग रह रही	17	5.7
कुल	300	100.0

अधिकांश (83.0 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधि विवाहित हैं, जिसके कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं पंचायत-कार्य के बीच संतुलन एक महत्वपूर्ण अध्ययन-बिन्दु बन जाता है (खण्ड-ग, बाधाओं के विश्लेषण से संबद्ध)।

तालिका 4.4: उत्तरदाताओं का पंचायत-स्तर के अनुसार वितरण (कुल संख्या = 300)

पंचायत का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
ग्राम पंचायत	200	66.7
जनपद पंचायत	70	23.3
जिला पंचायत	30	10.0
कुल	300	100.0

यह स्तरीकृत वितरण त्रिस्तरीय संरचना की वास्तविकता के अनुरूप है तथा तीनों स्तरों के तुलनात्मक विश्लेषण (विशेषकर H_1 के अंतर्गत प्रसरण विश्लेषण) को सम्भव बनाता है।

4.2 खण्ड-वार औसत सशक्तिकरण-सम्बद्ध स्कोर

तालिका 4.5: प्रश्नावली के पाँचों खण्डों का औसत स्कोर (5-बिन्दु लिकर्ट मापनी)

खण्ड	विषय-वस्तु	औसत स्कोर	व्याख्या
खण्ड-क	सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि	3.41	सहमति
खण्ड-ख	निर्णय-प्रक्रिया एवं समिति-सहभागिता	3.15	तटस्थ प्रवृत्ति

खण्ड	विषय-वस्तु	औसत स्कोर	व्याख्या
खण्ड-ग	सामाजिक-पारिवारिक-प्रशासनिक बाधाएँ	3.60	सहमति
खण्ड-घ	महिला नेतृत्व एवं स्थानीय विकास पर प्रभाव	3.74	सहमति
खण्ड-ङ	क्षमता-विकास एवं राजनीतिक सशक्तिकरण	3.19	तटस्थ प्रवृत्ति

तालिका 4.5 से स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व का स्थानीय विकास पर प्रभाव (खण्ड-घ, औसत = 3.74) सर्वाधिक सकारात्मक है, जबकि बाधाओं की तीव्रता (खण्ड-ग, औसत = 3.60) भी उल्लेखनीय रूप से उच्च है—अर्थात् महिला प्रतिनिधियाँ अपने नेतृत्व के प्रभाव के प्रति आश्वस्त हैं, किन्तु साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। सहभागिता (खण्ड-ख, औसत = 3.15) एवं क्षमता-विकास (खण्ड-ङ, औसत = 3.19) अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर हैं, जो सुधार की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

4.3 परिकल्पना-परीक्षण के परिणाम

H_1 के परीक्षण हेतु एकमार्गी प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया, जिसमें आश्रित चर राजनीतिक सहभागिता-सूचकांक (प्रश्न 1–8) तथा स्वतंत्र चर पंचायत-स्तर एवं शैक्षणिक स्तर लिए गए।

तालिका 4.6: परिकल्पना H_1 — पंचायत-स्तर एवं शैक्षणिक स्तर के अनुसार सहभागिता का प्रसरण विश्लेषण सारांश

समूहीकरण चर	**df (समूहों के बीच)**	**df (समूहों के भीतर)**	**F-मान**	**p-मान**	**निर्णय**
पंचायत-स्तर (ग्राम/जनपद/जिला)	2	297	5.398	0.005	सार्थक
शैक्षणिक स्तर (निम्न/मध्यम/उच्च)	2	297	6.556	0.002	सार्थक

दोनों ही स्थितियों में p-मान 0.05 से कम है (0.005 एवं 0.002); अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है तथा H_1 स्वीकृत की जाती है। यह पुष्टि करता है कि जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता को सार्थक रूप से प्रभावित करती है, जिसमें उच्च स्तरों (जिला/जनपद) एवं अधिक शिक्षित समूहों में सहभागिता का माध्य अपेक्षाकृत उच्च पाया गया।

परिकल्पनाओं H_2 से H_5 का परीक्षण सहसंबंध एवं सरल प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से किया गया, जिसका समेकित सारांश तालिका 4.7 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.7: परिकल्पनाओं H_2–H_5 के सहसंबंध/प्रतिगमन-परीक्षण का समेकित सारांश

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

परिकल्पना	चर-सम्बन्ध	प्रयुक्त परीक्षण	r / R^2	p-मान	निर्णय
H_2	सहभागिता ↔ सशक्तिकरण	सरल प्रतिगमन	$r = 0.28, R^2 = 0.079$	< 0.001	स्वीकृत
H_3	बाधाएँ ↔ सशक्तिकरण	सहसंबंध व प्रतिगमन	$r = -0.281, R^2 = 0.079$	< 0.001	स्वीकृत
H_4	नेतृत्व ↔ विकास-प्राथमिकता	पियर्सन सहसंबंध	$r = 0.824, R^2 = 0.679$	< 0.001	स्वीकृत
H_5	क्षमता-विकास ↔ सशक्तिकरण	सहसंबंध व प्रतिगमन	$r = 0.302, R^2 = 0.091$	< 0.001	स्वीकृत

तालिका 4.7 से स्पष्ट है कि सहभागिता का सशक्तिकरण से धनात्मक सम्बन्ध है (H_2), बाधाओं का सशक्तिकरण पर ऋणात्मक प्रभाव है (H_3, $r = -0.281$ सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा के रूप में 'सरपंच-पति' प्रवृत्ति, पारिवारिक हस्तक्षेप एवं प्रशासनिक जटिलता को इंगित करता है), नेतृत्व का विकास-प्राथमिकताओं पर प्रबल धनात्मक प्रभाव है (H_4, $r = 0.824$, जो लगभग 67.9 प्रतिशत विचरण स्पष्ट करता है तथा 'क्रांतिक-द्रव्यमान सिद्धांत' का प्रबल अनुभवजन्य समर्थन प्रस्तुत करता है — डी सिल्वा, 2023), तथा क्षमता-विकास का सशक्तिकरण से धनात्मक सम्बन्ध है (H_5), जो होक द्वारा प्रतिपादित प्रशिक्षण की भूमिका की पुष्टि करता है (होक, 2020)। सभी पाँचों परिकल्पनाएँ सांख्यिकीय रूप से स्वीकृत हुई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बहुआयामी एवं अंतर्संबंधित प्रकृति को रेखांकित करता है।

4.4 विश्वसनीयता विश्लेषण

तालिका 4.8: खण्ड-वार एवं समग्र विश्वसनीयता (क्रोनबाख अल्फा गुणांक)

खण्ड	मदों की संख्या	क्रोनबाख अल्फा गुणांक	विश्वसनीयता स्तर
खण्ड-क	8	0.901	उत्कृष्ट
खण्ड-ख	10	0.930	उत्कृष्ट
खण्ड-ग	12	0.938	उत्कृष्ट
खण्ड-घ	10	0.913	उत्कृष्ट
खण्ड-ङ	6	0.907	उत्कृष्ट
सम्पूर्ण उपकरण	48	0.839	उत्तम

सभी खण्डों की क्रोनबाख अल्फा मान 0.70 के स्वीकार्य मानक से पर्याप्त अधिक हैं तथा सम्पूर्ण उपकरण की अल्फा 0.839 है, जो प्रयुक्त प्रश्नावली की उच्च आन्तरिक संगति एवं विश्वसनीयता की पुष्टि करता है तथा अध्ययन के निष्कर्षों की वैधता को सुदृढ़ करता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4.5 समेकित विवेचन

उपर्युक्त परिणामों का समेकित पाठ यह दर्शाता है कि उज्जैन जिले में महिला सशक्तिकरण एक सुस्पष्ट किन्तु असमान प्रक्रिया है। एक ओर जनसांख्यिकीय विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन का नमूना मुख्यतः मध्यम आयु-वर्ग, माध्यमिक-स्तरीय शिक्षा एवं ग्राम पंचायत-स्तर की विवाहित महिला प्रतिनिधियों से गठित है—अर्थात् वे महिलाएँ जो पारम्परिक पारिवारिक दायित्वों एवं सार्वजनिक भूमिका के मध्य सर्वाधिक तनाव का अनुभव करती हैं। दूसरी ओर, खण्ड-वार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इन्हीं महिलाओं का नेतृत्व स्थानीय विकास पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो यह प्रमाणित करता है कि संरचनात्मक बाधाओं के बावजूद महिला प्रतिनिधियों की मूल क्षमता एवं संभावनाएँ अक्षुण्ण हैं। पंचायत-स्तर के अनुसार सहभागिता में जिला एवं जनपद स्तर पर उच्चतर माध्य (क्रमशः 3.36 एवं 3.61) की तुलना में ग्राम पंचायत स्तर पर अपेक्षाकृत निम्न माध्य (3.31) यह संकेत देता है कि आधार-स्तर पर सामाजिक निगरानी एवं पारिवारिक नियंत्रण अधिक सघन होता है, जबकि उच्च स्तरों पर संस्थागत संसाधन एवं दृश्यता महिलाओं की स्वायत्त सहभागिता को अपेक्षाकृत अधिक समर्थन देती है। यह प्रवृत्ति कुमार एवं परमार के रतलाम-केंद्रित निष्कर्षों से भी संगत है, जहाँ ग्राम-स्तरीय सामाजिक संरचनाएँ महिला प्रतिनिधियों की स्वायत्तता को सर्वाधिक सीमित करती पाई गई थीं (कुमार एवं परमार, 2020)।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन उज्जैन जिले के संदर्भ में मध्यप्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति का अनुभवजन्य आकलन प्रस्तुत करता है। परिणाम यह प्रमाणित करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन एवं मध्यप्रदेश के 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे संस्थागत हस्तक्षेपों ने महिलाओं को स्थानीय शासन में अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं, तथा उनका नेतृत्व स्थानीय विकास-प्राथमिकताओं एवं सेवा-प्रदाय पर प्रबल सकारात्मक प्रभाव डालता है (H_4, $r = 0.824$)। यह निष्कर्ष चट्टोपाध्याय एवं डफ्लो द्वारा प्रतिपादित 'पदार्थपरक प्रतिनिधित्व' की अवधारणा का अनुभवजन्य समर्थन करता है (चट्टोपाध्याय एवं डफ्लो, 2004)।

तथापि, अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि यह सशक्तिकरण एक प्रगतिशील किन्तु अपूर्ण प्रक्रिया है। जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि सहभागिता को सार्थक रूप से प्रभावित करती है (H_1), तथा सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक बाधाएँ—विशेषकर 'सरपंच-पति' प्रवृत्ति—सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण ऋणात्मक प्रभाव डालती हैं (H_3)। सहभागिता (खण्ड-ख, औसत = 3.15) एवं क्षमता-विकास (खण्ड-ङ, औसत = 3.19) अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर पाए गए, जो यह इंगित करते हैं कि केवल संख्यात्मक उपस्थिति एवं औपचारिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं हैं—जैसा कि ढकड़ एवं जोशी (ढकड़ एवं जोशी, 2021) तथा कौशिक (कौशिक, 2021) के अध्ययनों में भी रेखांकित किया गया है।

इन निष्कर्षों के आधार पर कुछ नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं: प्रथम, महिला प्रतिनिधियों के लिए नियमित, विकेंद्रीकृत एवं व्यावहारिक क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण को अनिवार्य एवं सतत बनाया जाना चाहिए (होक, 2020; प्रिल्लमन, 2023); द्वितीय, 'सरपंच-पति' प्रवृत्ति को रोकने हेतु संस्थागत निगरानी-तंत्र, गोपनीय शिकायत-निवारण एवं कठोर विधिक

प्रावधान लागू किए जाने चाहिए; तृतीय, स्वयं-सहायता समूहों के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं का सामाजिक नेटवर्क एवं सामूहिक क्रिया-क्षमता सुदृढ़ हो (प्रिल्लमन, 2023); तथा चतुर्थ, महिला-प्रतिनिधियों के संघों एवं महासंघों को प्रोत्साहन देकर सामूहिक हित-वकालत को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अध्ययन की सीमाएँ—क्षेत्रीय सीमा (केवल उज्जैन जिला), स्व-प्रतिवेदित आँकड़ों में सम्भावित सामाजिक-वांछनीयता पूर्वाग्रह, तथा अनुप्रस्थ-काट अभिकल्प की समय-सीमा—इसके निष्कर्षों की मूल वैधता को खण्डित नहीं करतीं, अपितु उनकी व्याख्या के दायरे को परिभाषित करती हैं। भविष्य के अनुसंधान हेतु दीर्घकालिक, बहु-जिला अथवा राज्य-स्तरीय तथा मिश्रित-पद्धति अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जो सशक्तिकरण की गतिशीलता को समय के साथ अनुसरण कर सकें। समग्र रूप से, प्रस्तुत अध्ययन इस केंद्रीय निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उज्जैन जिले में महिला जनप्रतिनिधियों का सशक्तिकरण संस्थागत अवसर एवं सामाजिक बाधाओं के मध्य के एक सतत द्वंद्व द्वारा परिभाषित होता है, तथा इस द्वंद्व को संतुलित करने वाली लक्षित एवं समन्वित नीतिगत कार्यवाही ही पंचायती राज में महिलाओं के वास्तविक, पदार्थपरक सशक्तिकरण को साकार कर सकती है।

अंततः, यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि सहभागिता, बाधाएँ, नेतृत्व एवं क्षमता-विकास पृथक-पृथक कारक नहीं, अपितु एक अंतर्संबंधित तंत्र के अंग हैं। प्रशिक्षित एवं सक्षम प्रतिनिधि अधिक आत्मविश्वास से सहभागिता करती है, अधिक सहभागिता प्रभावी नेतृत्व में परिणत होती है, तथा प्रभावी नेतृत्व पुनः बेहतर विकासात्मक परिणाम देता है—इसके विपरीत, बाधाएँ इस सकारात्मक चक्र को अवरुद्ध करती हैं। अतः महिला सशक्तिकरण को समग्र, अंतर्संबंधित दृष्टिकोण से समझा एवं संबोधित किया जाना चाहिए, न कि पृथक-पृथक हस्तक्षेपों के समुच्चय के रूप में। उज्जैन जिले से प्राप्त यह अनुभवजन्य साक्ष्य मध्यप्रदेश के अन्य जिलों तथा समान सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों के लिए भी सीमित रूप में सामान्यीकृत किया जा सकता है, तथा यह भविष्य के बहु-जिला एवं राज्य-स्तरीय अध्ययनों हेतु एक पद्धतिगत एवं विषयगत आधार प्रस्तुत करता है।

संदर्भ

1. अय्यर, एल., मणि, ए., मिश्रा, पी., एवं टोपालोवा, पी. (2022). राजनीतिक स्वर की शक्ति: भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं अपराध. अमेरिकी आर्थिक पत्रिका: व्यावहारिक अर्थशास्त्र, 14(4), 165–193.
2. कुमार, एस., एवं घोष, ए. के. (2024). भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव एवं चुनौतियों का आकलन (ऑब्ज़र्वर शोध प्रतिष्ठान, प्रासंगिक पत्र क्रमांक 425). ऑब्ज़र्वर शोध प्रतिष्ठान.

3. कुमार, एस., एवं परमार, वी. (2020). स्थानीय शासन में दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले का अध्ययन. शोध समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय बहु-विषयक पत्रिका, 5(5), 107–112.
4. कौशिक, पी. (2021). पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण. अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान शोध की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, 11(3), 112–121.
5. चट्टोपाध्याय, आर., एवं डफ्लो, ई. (2004). नीति-निर्माता के रूप में महिलाएँ: भारत में एक यादृच्छिक नीति-प्रयोग से साक्ष्य. इकोनोमेट्रिका, 72(5), 1409–1443.
6. जोशी, डी. के., एवं गोहरुंग, आर. (2018). महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व की संकल्पना एवं मापन: उपस्थिति से संतुलन तक. राजनीति एवं लिंग पत्रिका, 14(3), 350–375.
7. ढकड़, एस., एवं जोशी, एस. (2021). पंचायत में महिला आरक्षण: एक विषयगत पुनरावलोकन. इंस्पायरा — आधुनिक प्रबंधन एवं उद्यमिता पत्रिका, 11(2), 45–52.
8. डी सिल्वा, आर. (2023). नेतृत्व में महिलाओं का क्रांतिक-द्रव्यमान सिद्धांत: आगे क्या? पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय विधि विद्यालय, लोक विधि शोध पत्र, 23(4).
9. नायर, एन. वी., एवं मूलक्कट्टु, जे. एस. (2018). लिंग-उत्तरदायी बजट-निर्माण: केरल के एक ग्रामीण स्थानीय निकाय का अध्ययन. सेज ओपन पत्रिका, 8(1).
10. पटेल, आर. (2020). चुनावों में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रभाव. डार्टमाउथ स्नातक राजनीति, अर्थशास्त्र एवं विश्व मामले पत्रिका, 1(3), 31–52.
11. प्रिल्लमन, एस. ए. (2023). संख्या में शक्ति: महिला समूह भारत के राजनीतिक लैंगिक अंतराल को कैसे कम करते हैं. अमेरिकी राजनीति विज्ञान पत्रिका, 67(2), 390–410.
12. बिल्लवा, एन., एवं नायक, एन. एस. (2016). पंचायत राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण: एक विषयगत पुनरावलोकन. राजनीति एवं शासन पत्रिका, 5(4), 5–18.
13. बौरी, ए., एवं बसु, ए. (2024). पश्चिम बंगाल, भारत में नगरीय स्थानीय शासन में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण. एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन पत्रिका (शीघ्र-प्रकाशित संस्करण).
14. भालोत्रा, एस., क्लॉट्स-फिगेरस, आई., एवं अय्यर, एल. (2021). भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध: भारत से साक्ष्य. विकास अर्थशास्त्र पत्रिका, खण्ड 150, लेख संख्या 102611.
15. मुकर्जी, एस. (2021). स्थानीय राजनीति की सामाजिक जड़ें: उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में महिला प्रत्याशी. भारतीय लिंग अध्ययन पत्रिका, 28(1), 113–126.
16. राजशेखर, डी., एवं मंजुला, आर. (सम्पादक). (2024). महिला नेतृत्व, विकेंद्रीकृत शासन एवं विकास: भारतीय राज्यों के परिप्रेक्ष्य. स्प्रिंगर प्रकाशन.

17.सिन्हा, आर. के. (सम्पादक). (2022). भारत में स्थानीय शासन एवं महिला सशक्तिकरण. इंडियन बुक्स एण्ड पीरियोडिकल्स.

18.हज़रा, एस. (2017). पश्चिम बंगाल में पंचायत राज में महिलाओं की सहभागिता: एक मूल्यांकन. आर्थिक कार्य पत्रिका, 62(2), 347–352.

19.हेसामी, ज़ेड., एवं दा फोंसेका, एम. एल. (2020). महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं नीतियों पर पदार्थपरक प्रभाव: एक साहित्य पुनरावलोकन (आईज़ेडए श्रम अर्थशास्त्र संस्थान, विचार-पत्र क्रमांक 13125). आईज़ेडए श्रम अर्थशास्त्र संस्थान.

20.होक, ए. (2020). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत शोध की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, 11(10), 1827–1840.